झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
(नजारत शाखा)

पश्चिमी सिंहभूम के नया समाहरणालय परिसर में चाय, कॉफी , अल्पाहार एवं भोजन की सुविधा मुहैया कराने हेतु कैंटिन की स्थापना के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम, जिला अन्तर्गत नया समाहरणालय परिसर में चाय, कॉफी, अल्पाहार एवं भोजन की सुविधा मुहैया कराने हेतु कैंटिन की स्थापना के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

अतः इच्छुक निविदादाता अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति का आवेदन अलग–अलग बन्द लिफाफा में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को संबोधित करते हुए दिनांक 25.2.19 को अपराह्न 3.00 बजे तक हाथो हाथ या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते है। एक लिफाफा के ऊपर Technical Bid तथा दुसरे पर Financial Bid लिखा होना चाहिए।

उक्त निविदा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के सभा कक्ष में दिनांक 25.2.19 को 4.00 बजे अपराह्न में निविदादाता या निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोला जायेगा।

नोटः– उक्त इच्छा की अभिव्यक्ति की विस्तृत जानकारी हेतु **chaibasa.nic.in** पर देखा जा सकता है।

14/1/19

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक :– 45 / **दिनांक :–** 14/02/2019

प्रतिलिपि :– जिला जनसंम्पर्क पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपर्युक्त इच्छा की अभिव्यक्ति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपर्युक्त इच्छा की अभिव्यक्ति जिले के वेबसाइड में आपलोड कराना सुनिश्चित करेंगें।

14/1/19

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(10)

<u>निविदा हेतु शर्त निम्नलिखित–</u>

1. कैंटिन संचालन अवधि 9:00 बजे पूर्वा0 से 9:00 संध्या तक।
2. निविदादाता को स्वयं अपना जेनरेटर का व्यवस्था करना होगा। सिर्फ लाईट हेतु समाहरणालय से विद्युत या जेनरेटर का उपयोग करना होगा।
3. कैंटिन परिसर में पूर्ण तरह से साफ–सफाई रखना होगा एवं समाहरणालय परिसर में गंदगी रखने पर निविदा रदद् करने का अधिकार समिति के अध्यक्ष उपायुक्त के पास सुरक्षित रहेगा।
4. समाहरणालय परिसर के अन्दर ही कैंटिन के लिए अपना सेड का निर्माण दिए गए मापी प्राक्कलन एवं पीछे एक किचन सेड का निर्माण स्वयं के खर्च पर करेंगें।
5. अधिकतम मासिक किराया बोली बोलने वाले निविदादाता को सफल घोषित माना जायेगा।
6. यह निविदा सात (7) वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि कार्य संतोषप्रद रहा तो जिला प्रशासन इसका विस्तार कर सकती है। समिति द्वारा मान्य हो तो पुनः विस्तार के लिए पूर्व के निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. काली सूची में दर्ज नहीं का प्रमाण पत्र जिला नोटरी से कराते हुये देंगें।
8. कम से कम तीन (3) वर्ष का इस क्षेत्र में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
9. कैंटिन से संबंधित सुविधा प्रदत्त करने वाले सभी कर्मचारी को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित ड्रेस में रहना होगा।
10. कैंटिन संचालक को उपलब्ध कराए गए स्थान के भीतर संचालन करना होगा। अतिक्रमण करने पर निविदा रदद् कर दी जायेगी।
11. समान दर प्राप्त होने पर अधिक कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. कैंटिन में बिकी होने वाली कुल दस खाद्य सामग्री का दर जिला प्रशासन तय करेगा, जिनकी उपलब्धता अनिवार्य होगी। अन्य सामग्री का दर निविदादाता अपने अनुसार रखने के लिए स्वतंत्र रहेगें।
13. कैंटिन में किसी प्रकार का मादक पदार्थ जैसे सिगरेट, खैनी, तम्बाकू, मदिरा इत्यादि की बिकी नहीं होगी।
14. कैंटिन चलाने वाले को दिए गए प्राक्कलन / MAP के अनुसार दस (10) लाख रुपये खर्च करने होगें। जो निमग्न लागत (Sunk cost) के रुप में होगा, जिसे वापस नहीं किया जायेगा।
15. यह कैंटिन रविवार को भी खुला रहेगा।
16. किचन तथा स्टोर रुम के लिए समाहरणालय में 400 Sq Fit जमीन तथा Selling Point Area 400 Sq Fit एवं Sitting हेतु 400 Sq Fit जमीन समाहरणालय के सामने प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

24/11/15

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।